



e/; i ns' k 0; kol kf; d ij h{kk e.My] Hkksi ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

, e-i-h- LVW dk&vkijsVo Ms jh QMjs'ku fyfeVM] Hkksi ky , oa l c) nq/k l 2kka
ds vrxr fjDr l h/kh HkrhZ o l h/kh Hkrh&c.dykK ds fofHkUu inka
ij HkrhZ grp; u ij h{kk&2015

fo"k; &l ph

Øa	v/; k;	fooj .k	i "B Øa
1.	01	एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल एवं संबद्ध दुग्ध संघों के अंतर्गत रिक्त विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2015 के लिए विभागीय नियम	3-12
2.	02	आरक्षण तालिका	13-31
3.	03	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	32-50
4.	04	विस्तृत पाठ्यक्रम	51-53
6.	ik: i	आवश्यक प्रमाण-पत्रों के प्रारूप	54-57

, e-i-h- LVW dk&vki jfVo Ms jh QMj's ku fyfeVM] Hkksi ky , oa l c) nq/k l 2kka
ds vrxr fjDr l h/kh HkrhZ o l h/kh Hkrh&c.fdykK ds fofHkUu i nka
ij HkrhZ grp; u ij h{kk&2015

1-1 p; u l c/kh l keku; vups k %&

एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रं./3784/प्रशासन /आर-90(5)/15, दिनांक 29/07/2015 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. विप/दु.सं/2015/706 दिनांक 01.04.15 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2015 के लिए आवेदन कर रहे सभी आवेदकों पर ये निर्देश लागू होंगे। तृतीय श्रेणी के पदों हेतु आरक्षित पदों की गणना विभिन्न दुग्ध संघों में संधारित किए गए रोस्टर के आधार पर उनके द्वारा सूचित अनुसार विज्ञापित की गई हैं। i nka dh l a[; k ea vko'; drkuq kj deh ; k of) dh tk l drh gA

1-2 i fjHkk"kk, W%&

- (अ) इन निर्देशों में "श्रेणी" से तात्पर्य चार श्रेणियों – अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा ।
- (ब) "मण्डल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है ।
- (स) "म.प्र." से तात्पर्य मध्यप्रदेश है ।
- (द) "एमपीसीडीएफ" से तात्पर्य एम.पी.स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल से है ।
- (इ) "दुग्ध संघों" से तात्पर्य इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर एवं ग्वालियर दुग्ध संघ से है ।
- (ई) भो.दु.सं., इ.दु.सं., उ.दु.सं., ग्वा.दु.सं., तथा ज.दु.सं., से तात्पर्य भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर तथा जबलपुर दुग्ध संघ से है ।

1-3 fjDr i nka l s l c/f/kr fooj.k %&

i n dkM	i nuke , oa orueku %i s c&M \$ xM i %	i nka dh Js kh	i nka dh l a[; k	'k&kf.kd vgrk , oa vuHko
1	उप महाप्रबंधक (प्रशासन) रु. 15600-39100 +6600	श्रेणी-1	01	पर्सनल एवं इंडस्ट्रियल रिलेशन/ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एम.बी.ए. के समकक्ष ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)। किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/डेयरी/सहकारी संस्था / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सहा. महाप्रबंधक (प्रशासन) श्रेणी के पद पर प्रशासन/मानव संसाधन विकास के कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है।

in dkm	inuke , oa orueku %i s c&M \$ xM i½	in ka dh Js kh	in ka dh l a ; k	'kqkf.kd vgrk , oa vuqko
2.	उप महाप्रबंधक (विपणन) रु. 15600-39100 +6600	श्रेणी-1	01	मार्केटिंग मैनेजमेंट में एम.बी.ए. के समकक्ष ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)। किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/डेयरी/सहकारी संस्था / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सहा. महाप्रबंधक (विपणन) पद पर विपणन कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है।
3.	सहा. महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन) रु. 15600-39100 +5400	श्रेणी-2	02	वेटनरी साइंस में स्नातक उपाधि अथवा विज्ञान (वायलॉजी) या कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ग्रामीण प्रबंधन में एम.बी.ए. या समकक्ष स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय) किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/ सहकारी संस्था/ डेयरी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंधक (क्षेत्र संचालन) श्रेणी के पद पर क्षेत्र संचालन संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
4	सहा. महाप्रबंधक(संसं/सी.सी./एफ.पी) रु. 15600-39100 +5400	श्रेणी-2	02	डेयरी टेक्नोलॉजी/फूड टेक्नोलॉजी/डेयरी इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि। किसी वृहद डेयरी में प्रबंधक (संयंत्र संचालन) के पद पर दूध एवं दूध पदार्थों का संसाधन/उत्पादन संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
5	सहा. महाप्रबंधक (वित्त) रु. 15600-39100 +5400	श्रेणी-2	01	सी.ए.(इन्टरमीडिएट)/आई.सी.डब्ल्यू.ए./एम.बी.ए. (वित्त)। किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/सहकारी संस्था/डेयरी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंधक (वित्त) के पद पर वित्त/लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।
6	सहा. महाप्रबंधक(एमआईएस/ई.डी.पी) रु. 15600-39100 +5400	श्रेणी-2	01	कम्प्यूटर साइन्स/इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी में ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन /स्टेटिसटिक्स/कम्प्यूटर साइन्स में स्नातकोत्तर उपाधि। किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/सहकारी संस्था/डेयरी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंध (एमआईएस/ईडीपी) के पद पर एम.एण्ड.पी/ईडीपी संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।
7	सहा. महाप्रबंधक (क्रय/भण्डार) रु. 15600-39100 +5400	श्रेणी-2	01	मैटेरियल मैनेजमेंट/कॉमर्स/इनवेंट्री मैनेजमेंट में स्नाकोत्तर उपाधि या स्नाकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)। किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/सहकारी संस्था/डेयरी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंधक (क्रय/भण्डार) के पद पर भण्डार संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।
8	प्रोग्रामर रु. 15600-39100 +5400	श्रेणी-2	01	कम्प्यूटर साइन्स/इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी में ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन / स्टेटिसटिक्स/कम्प्यूटर साइन्स में स्नातकोत्तर उपाधि। किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/सहकारी संस्था/डेयरी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंधक (एमआईएस/ईडीपी) के पद पर एम.एण्ड.पी/ईडीपी संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।
9.	प्रबंधक(क्षेत्र संचालन) रु. 9300-34800 +4200	श्रेणी-2	20	वेटनरी साइंस में स्नातक उपाधि अथवा विज्ञान (वायलॉजी) या कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)

in dkM	inuke , oa orueku %i s c& M \$ xM i %	in ka dh Js kh	in ka dh l a ; k	'kqkf.kd vgrk , oa vuqko
10	प्रबंधक(संयंत्र संचालन) रु. 9300-34800 +4200	श्रेणी-2	08	डेयरी टेक्नालॉजी/फूड टेक्नालॉजी/डेयरी इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।
11.	प्रबंधक (विपणन) रु. 9300-34800 +4200	श्रेणी-2	06	मार्केटिंग मैनेजमेंट में एम.बी.ए. के समकक्ष ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।
12.	प्रबंधक (वित्त) रु. 9300-34800 +4200	श्रेणी-2	05	सी.ए.(इन्टरमीडिएट)/आई.सी.डब्लू.ए/एम.बी.ए. (वित्त)/एम.कॉम
13.	प्रबंधक(एमआईएस) रु. 9300-34800 +4200	श्रेणी-2	01	कम्प्यूटर साइन्स/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातक की उपाधि अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन /स्टेटिसटिक्स/कम्प्यूटर साइन्स में स्नातकोत्तर उपाधि।
14	प्रबंधक (गुण नियंत्रण) रु. 9300-34800 +4200	श्रेणी-2	07	डेयरी माईक्रोबायोलॉजी/डेयरी केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा फूड टेक्नालॉजी/डेयरी टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा केमिस्ट्री/बायोलॉजी (माईक्रोबायोलॉजी)/बायोटेक्नालॉजी में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।
15.	प्रबंधक (क्रय/भंडार) रु. 9300-34800 +4200	श्रेणी-2	01	मटेरियल मैनेजमेंट/कॉमर्स/इनवेंट्री मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।
16.	प्रबंधक(यांत्रिकी) रु.9300-34800+4200	श्रेणी-2	01	ईलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/ईलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।
17.	प्रबंधक (पशु पोषण) रु. 9300-34800 +4200	श्रेणी-2	01	एनिमल न्यूट्रीशियन/वेटनरी/पशु पालन में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)/एमएससी (एएन) /एमवीएससी(एएन)
18.	लीगल असिस्टेंट/ विधिक सहायक रु. 9300-34800 +3200	श्रेणी-3	01	विधि (लॉ) में स्नातक।
19.	वरिष्ठ तकनीशियन(यांत्रिकी) रु.9300-34800+3200	श्रेणी-3	05	ईलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/ईलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन/रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि /पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा अथवा बायलर आपरेशन में क्लास-1 प्रमाण-पत्र धारी।
20	विपणन पर्यवेक्षक/विक्रय प्रोत्साहन संगठक रु. 9300-34800 +3200	श्रेणी-3	20	मार्केटिंग मैनेजमेंट एम.बी.ए के समकक्ष ए.आई.सी.टी.आई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।
21.	ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक रु. 9300-34800 +3200	श्रेणी-3	09	वेटनरी साइंस या वाणिज्य या जीव विज्ञान या कृषि संकाय में स्नातक।
22	कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक रु. 5200-20200+2800	श्रेणी-3	05	किसी भी विषय में स्नातक।
23	कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक रु. 5200-20200+2800	श्रेणी-3	15	वेटनरी साइंस या वाणिज्य या जीव विज्ञान या कृषि संकाय में स्नातक।
24	लेखापाल रु. 5200-20200 +2800	श्रेणी-3	05	कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि एवं Tally एवं MS Office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र
25	प्रयोगशाला सहायक/वरि. सहायक (गुणित) रु. 5200-20200 +2800	श्रेणी-3	09	रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक
26	टेलिफोन ऑपरेटर रु. 5200-20200 +2400	श्रेणी-3	02	साइंस में स्नातक उपाधि एवं ईपीएबीएक्स संचालन का ज्ञान।
27	तकनीशियन रु. 5200-20200 +2400	श्रेणी-3	49	ईलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/ईलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन /रेफ्रिजरेशन में स्नातक उपाधि/पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा आई.टी.आई उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र के साथ एप्रेन्टीस अथवा बायलर आपरेशन में क्लास-II प्रमाण पत्र धारी।
28	डाटा एंट्री ऑपरेटर रु. 5200-20200+2100	श्रेणी-3	04	सांख्यिकी या कामर्स में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।
29	लेखा सहायक रु. 5200-20200 +2100	श्रेणी-3	10	कॉमर्स में स्नातक उपाधि एवं Tally एवं MS Office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

in dkM	i nuke , oa orueku ¼ s c& M \$ xM i ½	i nka dh Js kh	i nka dh l a ; k	'k&f. kd v&rk , oa vu&ko
30	वितरण लिपिक (डिस्पेच क्लर्क) रु. 5200-20200 +2100	श्रेणी-3	11	किसी भी विषय में स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा।
31	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक रु. 5200-20200 +2100	श्रेणी-3	20	रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक
32	डैरी डाक असिस्टेंट रु. 5200-20200 +2100	श्रेणी-3	03	रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।
33	कनिष्ठ तकनीशियन रु. 5200-20200+1900	श्रेणी-3	10	ईलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/ईलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन/रेफ्रिजरेशन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमो अथवा आई.टी.आई उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र के साथ एप्रेन्टीस अथवा बॉयलर आपरेशन में क्लास-II प्रमाण पत्र धारी।
34	कनिष्ठ डैरी डाक सहायक रु. 5200-20200 +1900	श्रेणी-3	11	रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।
35	सहायक ग्रेड-3 रु.5200-20200+1900	श्रेणी-3	25	किसी भी विषय में स्नातक उपाधि मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड म.प्र. से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर में टंकण कार्य का अनुभव एवं प्रमाण पत्र।
36	एल.एम.व्ही.ड्राइवर/वाहन चालक रु. 5200-20200+1900	श्रेणी-3	5	आठवीं उत्तीर्ण एवं एलएमवी/एचएमवी वाहन चालन हेतु वैध वाहन चालक लायसेंस।

uk/ %&

1. इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन से संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
2. अन्य स्नातक तथा स्नाकोत्तर शैक्षणिक योग्यताएं यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
3. आवेदक के पास अर्हतायें एवं वांछित अनुभव की पूर्ण अवधि आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हतायें एवं अनुभव अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

1-4 p; u dk vk/kkj %&

- 1.4.1 चयन केवल व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगी लिखित परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर होगा। साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त होते हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
- 1.4.2 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में स्नातक स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 01 अंक एवं प्रश्न पत्र दो घंटे की अवधि का हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा, जिसका पाठ्यक्रम संलग्न है।
- 1.4.3 लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मण्डल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक-पृथक मेरिट सूची प्रतीक्षा सूची सहित बनाई जाकर एमपीसीडीएफ को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम श्रेणी के पदों हेतु न्यूनतम अर्ह अंक (Minimum Qualifying Marks) का प्रतिशत 60 अनिवार्य होगा। द्वितीय श्रेणी के पदों हेतु न्यूनतम अर्ह अंक (Minimum Qualifying Marks) का प्रतिशत 50 अनिवार्य होगा।

- 1.4.4 तृतीय श्रेणी के पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 12वीं स्तर के 100 प्रश्न, 100 अंक एवं दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न-पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा, जिसका पाठ्यक्रम संलग्न है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मण्डल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिये पृथक-पृथक मेरिट सूची प्रतीक्षा सूची सहित बनाई जाकर एमपीसीडीएफ को उपलब्ध कराई जायेगी। इस श्रेणी हेतु न्यूनतम अर्ह अंक (Minimum Qualifying Marks) 50 प्रतिशत अनिवार्य होंगे।
- 1.4.5 अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के न्यूनतम अर्ह अंक (Minimum Qualifying Marks) में 10 प्रतिशत अंको की छूट दी जाएगी।
- 1.4.6 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पद की पदस्थापना एमपीसीडीएफ एवं किसी भी दुग्ध संघों हेतु प्रबंध संचालक द्वारा की जाएगी। तृतीय श्रेणी के पद की पदस्थापना संबंधित दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जायेगी।

1.5 dk; / vuukko ds | c/k es Li "Vhdj .k

1/2 mi egki c/kd i n ds vkondka ds fy,

- उप महाप्रबंधक पद के आवेदकों हेतु सहायक महाप्रबंधक के पद पर 2 वर्ष का कार्य अनुभव से आशय वेतनमान रू. 15600-39100 ग्रेड पे 5400 अथवा रू. 7.0 लाख प्रतिवर्ष (CTC) के समकक्ष पद वेतन पर दो वर्ष का कार्य अनुभव से है।

अनुभव के प्रमाणीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति पत्र एवं विगत दो वर्ष की वेतन पर्ची दो वर्ष की ईपीएफ Slip या बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान होने की स्थिति में विगत दो वर्ष का बैंक स्टेटमेन्ट की स्वसत्यापित छायाप्रतियाँ स्कूटनी के समय अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- कार्यानुभव हेतु वृहद उद्योग/डेयरी संयंत्र/सहकारी संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का न्यूनतम टर्न ओव्हर प्रति वर्ष रू. 50 करोड होना चाहिए।

1/2 i ksxkej @l gk; d egki c/kd i n ds vkondka ds fy,

- प्रोग्रामर/सहायक महाप्रबंधक पद के आवेदकों हेतु प्रबंधक के पद पर एक वर्ष का कार्य अनुभव से आशय वेतनमान रू. 9300-34800 ग्रेड पे 4200 अथवा रू. 4.50 लाख प्रतिवर्ष (CTC) के समकक्ष पद वेतन पर एक वर्ष का कार्य अनुभव से है।
- अनुभव के प्रमाणीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति पत्र एवं विगत एक वर्ष की वेतन पर्ची एक वर्ष की ईपीएफ Slip या बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान होने की स्थिति में विगत एक वर्ष का बैंक स्टेटमेन्ट की स्वसत्यापित छायाप्रतियाँ स्कूटनी के समय अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्यानुभव हेतु वृहद उद्योग/डेयरी संयंत्र/सहकारी संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का न्यूनतम टर्न ओव्हर प्रति वर्ष रू. 50 करोड होना चाहिए।

1-6 ikjLi fjd oj; rk %&

योग्यता कम अनुसार तथा पारस्परिक मेरिट-उत्तीर्ण आवेदकों की मेरिट उन्हें परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी परन्तु यदि दो व्यक्तियों को एक समान अंक मिलते हैं तो उस आवेदक को नियुक्ति दी जाएगी, जो आयु में वरिष्ठ हो।

- 1-7 नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा किया जावेगा। नियुक्ति के पश्चात् पुलिस अधीक्षक से नियमानुसार चरित्र सत्यापन कराया जाना होगा।

1-8 ukxfj drk , oa LFkkbZ fuokl h ds l c/k ea %&

I. पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :-

- (क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
- (ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
- (घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

fVli .kh %&

(अ) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्याधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

- (i.) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
- (ii.) ऐसे व्यक्ति, जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
- (iii.) उपर्युक्त वर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं।

¼½ किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्याधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(स) , s vH; FkhZ tks e/; i n's k ds LFkkbZ fuokl h ugha g\$ fl Ql vukj f{kr@vki u ds varxir fjDr inka grq gh viuk vkonu i Lrqr dj l drs gA , s vkondka dks vkj {k.k vFkok vk; q l hek ea Nw/ dk dkbZ Hkh ykHk ugha feyskA

1-9 vkj {k.k l s l c/f/kr Li "Vhdj .k%&

- i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ii. विकलांग अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- iii. भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- iv. अनारक्षित ऑपन श्रेणी में रिक्त पदों के लिए सभी श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

1-10 vk; q l hek@vk; q x.kuk@vk; q ea Nw %&

सामान्य प्रशासन विभाग कं.सी-3-5/2001/3/1 दिनांक 17.08.04 एवं सामान्य प्रशासन विभाग कं. सी-3/11/84/3/1 दिनांक 24.04.84 तथा सी-3-25/88/3/49 दिनांक 29.03.89 एवं वर्ग विशेष उम्मीदवारों को सामान्य प्रशासन विभाग के तत्संबंध में जारी परिपत्रों अनुसार आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01.07.15 को जिन पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर है, के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा जिन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता गैर स्नातक है, के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु सीमा तालिकाओं में दिये गये अनुसार होगी।

1-11 l kekU; i z kkl u foHkkx] e/; i ns'k 'kkl u ds i = dz l h&3&11@12@1@3 fnukad 03-11-2012 ds vuq kj fuEu l oxkz ds varxir vkus okys vH; kFfkz; ka dh vk; q l hek dh x.kuk fuEukuq kj g%&

l -dz	vkond , oa Js kh	vf/kdre vk; q l hek
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
10	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

1-12 i kRl kgu Lo: i nh tkus okyh Nw/ka dk fooj .k %&

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी ।
2. आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरुस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-10-85-3-1, दिनांक 03.09.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी ।
3. विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-18-85-3-1, दिनांक 03.09.85 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी ।

1-13 e/; i ns'k ds LFkkbZ fuokl h vkondka dh vk; q l hek ds l xzk ea vl; fooj .k %&

- (क) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

- (ख) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी को, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ग) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्त की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल यूनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि से में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हो।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्र० 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 01.01.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भर्ती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Vhi & ¼1½ उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1-14 vH; fFkkrk@p; u ds l cdk es fugrk, @tkudkj h %&

- i. पररूप धारण (इम्पर्सोनेशनल) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- ii. ऐसा पुरुष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो लिखित परीक्षा के लिए अनर्ह माना जायेगा।
- iii. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जावेगा परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह नहीं माना जावेगा।
- iv. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध अपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- v. मानसिक रूप से अस्वस्थ आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।
- vi. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।
- vii. आवेदक को नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध न ठहराया गया हो।

- 1.15 तृतीय श्रेणी के प्रत्येक उम्मीदवार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, उज्जैन, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, ग्वालियर एवं जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता अंकित करनी होगी। परन्तु पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर आवश्यकतानुसार म.प्र. में किसी भी स्थान पर की जा सकेगी।
- 1.16 प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।
- 1.17 चयनित उम्मीदवारों को प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा। आवेदक द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का दबाव/प्रभाव डालने पर उसे नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा। विज्ञापित पद रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- 1.18 पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों तथा ऐसी कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।
- 1.19 उम्मीदवार को एमपीसीडीएफ कर्मचारी भर्ती वर्गीकरण तथा सेवा शर्त विनियम –1985 के प्रावधान अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 1.20 आवेदक शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया हो तथा लोक सेवा में नियोजन के लिए अनर्ह घोषित न किया गया होना चाहिए।
- 1.21 आवेदकों एवं चयनित उम्मीदवारों पर एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल कर्मचारी भर्ती वर्गीकरण तथा सेवा शर्त विनियम 1985 एवं समय-समय पर इसमें किये गये संशोधन प्रभावी होंगे।
- 2.22 म.प्र. राजपत्र क्र. 468 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 के बिन्दु क्र. 14 के अनुसार किसी भरती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से 18 मास के लिए विधिमान्य होगी किन्तु आगामी वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात अविधिमान्य हो जाएगी।

uk& pkgs x;s | eLr iz = e-iz 'kkl u ds | kekl; iz'kkl u foHkkx }kjk tkjh ik: i
vuq kj vH; kFkhz }kjk fu; fDr ds | e; ,eihl hMh, Q dks iLrq fd; s tkoxA
vkonu i = ds | kFk dkbz i ek.k i = | ayXu ugha djx

(शोभित जैन)
प्रबंध संचालक
एम.पी.सी.डी.एफ. भोपाल

v/; k; & 02

, e-i-h- LVW dk&vki jfVo Ms jh QMj's ku fyfeVM] Hkks ky , oa l c) nq/k l qkka
ds varxh fjDr l h/kh Hkrh'z o l h/kh Hkrh'z c&sd ykk ds fofHku inka
ij Hkrh'z grq p; u ij h{kk&2015

Hkrh'z dk çdkj	çkFkfedrk Øe grq foHkx dk uke] ftuea in fjDr gâ	in	Js khokj mi yç/k in l a; k				
			vuk	vtk	vttk	vfi o	dy
I h/kh Hkrh'z	, e-i-h- LVW dk&vki jfVo Ms jh QMj's ku fyfeVM] Hkks ky	उप महाप्रबंधक (प्रशासन)	01	-	-	-	01
		उप महाप्रबंधक (विपणन)	01	-	-	-	01
		सहायक महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)	01	-	01	-	02
		सहायक महाप्रबंधक (संसं/सी.सी./एफ.पी)	01	-	01	-	02
		सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	01	-	-	-	01
		सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस/ई.डी.पी)	01	-	-	-	01
		सहायक महाप्रबंधक (क्रय/भण्डार)	01	-	-	-	01
		प्रोग्रामर	01	-	-	-	01
		प्रबंधक (क्षेत्र संचालन)	10	03	04	03	20
		प्रबंधक (संयंत्र संचालन)		02	03	-	05
		प्रबंधक (विपणन)	02	01	-	-	03
		प्रबंधक (वित्त)	03	-	01	01	05
		प्रबंधक (गुण नियंत्रण)	04	-	01	01	06
		प्रबंधक (क्रय/भंडार)	01	-	-	-	01
		प्रबंधक (यांत्रिकी)	01	-	-	-	01
		प्रबंधक (पशु पोषण)	-	-	01	-	01
	1. Hkks ky l gdkjh nq/k l qk e; k] Hkks ky	वरिष्ठ तकनीशियन (यांत्रिकी)	02	01	01	01	05
		लीगल असिस्टेंट/ विधिक सहायक	01	-	-	-	01
		कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक	03	01	01	-	05
		कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक	06	03	05	01	15
तकनीशियन		01	01	05	01	08	
कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक		09	04	04	03	20	
वितरण लिपिक/ डिस्पेच क्लर्क		03	02	02	02	09	
लेखा सहायक		02	02	02	01	07	
डाटा एंट्री ऑपरेटर		01	01	01	01	04	
सहायक ग्रेड-3		06	04	08	04	22	
एल.एम.व्ही.ड्रायवर			01	01	-	02	
कनिष्ठ डेरी डाक सहायक		06	02	02	01	11	
कनिष्ठ तकनीशियन		-	05	05	-	10	
2. blnkj l gdkjh nq/k l qk e; k] blnkj		विपणन पर्यवेक्षक	02	-	02	01	05
	प्रयोगशाला सहायक	03	-	02	01	06	
	वितरण लिपिक(डिस्पेच क्लर्क)		-	01	01	02	
	डेरी डाक सहायक	02	-	01		03	

I h/kh HkrhZ	3. mTtU I gdkjh nq/k I ak	विपणन पर्यवेक्षक	03	-	01	-	04
		लेखापाल	-	01	01	-	02
		तकनीशियन (प्लांट)	02	03	03	01	09
		टेलिफोन आपरेटर	01	-	-	-	01
		लेखा सहायक	01	-	-	-	01
	4. tcyig I gdkjh nq/k I ak	ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक	01	01	04	03	09
		विक्रय प्रोत्साहन पर्यवेक्षक	03	01	01	-	05
		लेखापाल	01	01	01	-	03
		वरिष्ठ सहायक(गुण नियंत्रण)		01	01	-	02
		टेलीफोन ऑपरेटर	01	-	-	-	01
		तकनीशियन	08	02	04		14
		लेखा सहायक	01	-	01	-	02
		सहायक ग्रेड-3	02	-	01	-	03
	5. Xokfy; j I gdkjh nq/k I ak	विक्रय प्रोत्साहन पर्यवेक्षक	04	01	-	01	06
वरिष्ठ सहायक(गुण नियंत्रण)		-	01	-	-	01	
तकनीशियन		07	05	01	05	18	
वाहन चालक		03	-	-	-	03	
		; kx	114	50	74	33	271
I h/kh HkrhZ c&lykk	, e-i-h- LVW dk&vki jfVo Ms jh QMj's ku fyfeVM] Hkksi ky	प्रबंधक (संयंत्र संचालन)	-	01	01	01	03
		प्रबंधक (विपणन)	-	01	01	01	03
		प्रबंधक (एम.आई.एस)	-	-	01	-	01
		प्रबंधक (गुण नियंत्रण)	-	-	01	-	01
		; kx	114	02	04	02	08
		egk; kx	114	52	78	35	279

i n k a d k , d t k b z f o o j . k

Ø-	i n d k u k e	I h/kh HkrhZ	I h/kh HkrhZ c d y k k	I fonk HkrhZ	d g y
1.	उप महाप्रबंधक (प्रशासन)	01			01
2.	उप महाप्रबंधक (विपणन)	01			01
3.	सहायक महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)	02			02
4.	सहायक महाप्रबंधक (संसं/सी.सी./एफ.पी)	02			02
5.	सहायक महाप्रबंधक (वित्त)	01			01
6.	सहायक महाप्रबंधक (एमआईएस/ई.डी.पी)	01			01
7.	सहायक महाप्रबंधक (क्रय/भण्डार)	01			01
8.	प्रोग्रामर	01			01
9.	प्रबंधक (क्षेत्र संचालन)	20			20
10.	प्रबंधक (संयंत्र संचालन)	05	03		08
11.	प्रबंधक (विपणन)	03	03		06
12.	प्रबंधक (वित्त)	05			05
13.	प्रबंधक (एम.आई.एस)		01		01
14.	प्रबंधक (गुण नियंत्रण)	06	01		07
15.	प्रबंधक (क्रय/भंडार)	01			01
16.	प्रबंधक (यांत्रिकी)	01			01
17.	प्रबंधक (पशु पोषण)	01			01
18.	वरिष्ठ तकनीशियन (यांत्रिकी)	05			05
19.	लीगल असिस्टेंट/ विधिक सहायक	01			01
20.	कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक	05			05
21.	कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक	15			15
22.	तकनीशियन	40			40
23.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	20			20
24.	वितरण लिपिक(डिस्पेच क्लर्क)	11			11
25.	लेखा सहायक	10			10
26.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	04			04
27.	सहायक ग्रेड-3	25			25
28.	एल.एम.व्ही.ड्रायवर	02			02
29.	कनिष्ठ डेरी डाक सहायक	11			11
30.	कनिष्ठ तकनीशियन	10			10
31.	विपणन पर्यवेक्षक	09			09

32.	प्रयोगशाला सहायक	06			06
33.	डेरी डाक सहायक	03			03
34.	लेखापाल	05			05
35.	तकनीशियन (प्लांट)	09			09
36.	टेलिफोन आपरेटर	02			02
37.	ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक	09			09
38.	विक्रय प्रोत्साहन पर्यवेक्षक	11			11
39.	वरिष्ठ सहायक(गुण नियंत्रण)	03			03
40.	वाहन चालक	03			03
; ksx		271	08		279

I h/kh HkrhZ ds inka dk oxbkj fooj.k

, e-i-h- LVW dk&vki jfVo Ms jh QMj's ku fyfeVM] Hkksi ky ¼e-ç-½

, e-i-h- LVW dk&vki jfVo Ms jh QMj's ku fyfeVM] Hkksi ky ¼e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक-क्र. /3784/प्रशासन /आर-90(5)/15, दिनांक 29/07/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -
vkj {k.k rkfydk

1. I h/kh HkrhZ & mi egkçc/kd ¼ç' kkl u½ & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 15600-39100+6600 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & पर्सनल एवं इंडस्ट्रियल रिलेशन/ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एम.बी.ए. के समकक्ष ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/डेयरी/सहकारी संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सहा. महाप्रबंधक (प्रशासन) श्रेणी के पद पर प्रशासन/मानव संसाधन विकास के कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है।

2. I h/kh HkrhZ & mi egkçc/kd ¼foi .ku½ & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 15600-39100+6600 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & मार्केटिंग मैनेजमेंट में एम.बी.ए. के समकक्ष ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/डेयरी/सहकारी संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सहा. महाप्रबंधक (विपणन) पद पर विपणन कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है।

3. I h/kh HkrhZ & I gk; d egkççdkd ¼k= I pkyu½ & dny 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 15600-39100+5400 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & वेटनरी साइंस में स्नातक उपाधि अथवा विज्ञान (वायलॉजी) या कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ग्रामीण प्रबंधन में एम.बी.ए. या समकक्ष स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय) किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/ सहकारी संस्था/ डेयरी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंधक (क्षेत्र संचालन) श्रेणी के पद पर क्षेत्र संचालन संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

4. I h/kh HkrhZ & I gk; d egkççdkd ¼ d @I h-I h-@, Q-i h½ & dny 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 15600-39100+5400 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & डेयरी टेक्नोलॉजी/फूड टेक्नोलॉजी/डेयरी इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि। किसी वृहद डेयरी में प्रबंधक (संयंत्र संचालन) के पद पर दूध एवं दूध पदार्थों का संसाधन/ उत्पादन संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

5. I h/kh HkrhZ & I gk; d egkççdkd ¼oUk½ & dny 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 15600-39100+5400 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & सी.ए.(इन्टरमीडिएट)/आई.सी.डब्ल्यू.ए./एम.बी.ए. (वित्त)। किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/सहकारी संस्था/डेयरी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंधक (वित्त) के पद पर वित्त/लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।

6. I h/kh HkrhZ & I gk; d egkççdkd ¼, evkbZ, I @bZMh-i h½ & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 15600-39100+5400 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & कम्प्यूटर साइन्स/इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी में ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/स्टेटिस्टिक्स/कम्प्यूटर साइन्स में स्नातकोत्तर उपाधि।
किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/सहकारी संस्था/डेयरी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंध (एमआईएस/ईडीपी) के पद पर एम.एण्ड.पी/ईडीपी संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।

7. I h/kh HkrhZ & I gk; d egkççdkd ¼; @Hk.Mkj½ & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 15600-39100+5400 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & मटेरियल मैनेजमेंट/कॉमर्स/इनवेंट्री मैनेजमेंट में स्नाकोत्तर उपाधि या स्नाकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।
किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/सहकारी संस्था/डेयरी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंधक (क्रय/भण्डार) के पद पर भण्डार संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।

8. I h/kh HkrhZ & çksxej & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 15600-39100+5400 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & कम्प्यूटर साइन्स/इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी में ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/स्टेटिस्टिक्स/कम्प्यूटर साइन्स में स्नातकोत्तर उपाधि।
किसी प्रतिष्ठित एवं वृहद उद्योग/सहकारी संस्था/डेयरी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रबंधक (एमआईएस/ईडीपी) के पद पर एम.एण्ड.पी/ईडीपी संबंधी कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।

9. I h/kh HkrhZ & içdkd ¼ks= I pkyu½ & dgy 20 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	03	—	—	10	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 पद दृष्टि/श्रवण/अस्थि बाधित हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिनावर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	—	—	03	
	; kx	14	06	—	—	20	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'kçkf.kd ; kx; rk & वेटनरी साइंस में स्नातक उपाधि अथवा विज्ञान (वॉयलॉजी) या कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)

10. I h/kh HkrhZ & iCdkd %a = I pkyu% & dny 05 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	02	—	—	05	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk& डेयरी टेक्नालॉजी/फूड टेक्नालॉजी/डेयरी इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।

11. I h/kh HkrhZ & iCdkd %foi.ku% & dny 03 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	01	—	—	03	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk& मार्केटिंग मैनेजमेंट में एम.बी.ए. के समकक्ष ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

12. I h/kh HkrhZ & cCdkd %foUk% & dny 05 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	04	01	—	—	05	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & सी.ए.(इन्टरमीडिएट)/आई.सी.डब्लू.ए/एम.बी.ए.(वित्त)/एम.कॉम

13. I h/kh HkrhZ & cCdkd %xqk fu; =.k% & dny 06 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	—	—	04	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	01	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	04	02	—	—	06	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & डेयरी माइक्रोबायोलॉजी/डेयरी केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा फूड टेक्नालॉजी/डेयरी टेक्नालॉजी में स्नातक उपाधि अथवा केमिस्ट्री/बायोलॉजी (माइक्रोबायोलॉजी)/बायोटेक्नालॉजी में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

14. I h/kh HkrhZ & cca/kd %0; @HkMkj½ & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'kqkf.kd ; kx; rk & मटैरियल मैनेजमेंट/कॉमर्स/इनवेन्ट्री मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

15. I h/kh HkrhZ & cca/kd %; kf=dh½ & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'kqkf.kd ; kx; rk & इलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।

16. I h/kh HkrhZ & cca/kd %i 'kq i ksk.k½ & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'kqkf.kd ; kx; rk & एनिमल न्यूट्रीशियन/वेटनरी/पशु पालन में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)/एमएससी (एएन)/एमवीएससी(एएन)

I h/kh HkrhZ cdykK ds i nka dk oxbkj fooj.k

17. I h/kh HkrhZ cdykK & icdkd % a = I pkyu% & dny 03 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; k\; rk& डेयरी टेक्नालॉजी/फूड टेक्नालॉजी/डेयरी इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।

18. I h/kh HkrhZ cdykK & icdkd %oi.ku% & dny 03 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; k\; rk& मार्केटिंग मैनेजमेंट में एम.बी.ए. के समकक्ष ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

19. I h/kh HkrhZ cdykK & icdkd % e-vkbE, I % & dny 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; k\; rk& कम्प्यूटर साइन्स/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त स्नातक की उपाधि अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/स्टेटिस्टिक्स/कम्प्यूटर साइन्स में स्नातकोत्तर उपाधि।

20. I h/kh HkrhZ cdykK & ccdkd %xqk fu; =.k% & dny 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300-34800+4200 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; k\; rk & सी.ए.(इन्टरमीडिएट)/आई.सी.डब्लू.ए/एम.बी.ए.(वित्त)/एम.कॉम

25. I h/kh HkrhZ & rduhf'k; u & dny 08 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 हस्तिबाधित, दृष्टिबाधित श्रवणबाधित पद हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिनावर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	01	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	—	—	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	01	—	—	01	
	; kx	04	04	—	—	08	

orueku & 5200-20200+2400 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & इलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन /रेफ्रिजरेशन में स्नातक उपाधि /पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा आई.टी.आई उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र के साथ एग्नेंटीस अथवा बॉयलर आपरेशन में क्लास-II प्रमाण पत्र धारी।

26. I h/kh HkrhZ & dfu"B iz kx'kkyk lgk; d & dny 20 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	03	01	—	09	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 दृष्टि/श्रवण/अस्थि बाधित पद आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिनावर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	—	—	03	
	; kx	13	06	01	—	20	

orueku & 5200-20200+2100 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक

27. I h/kh HkrhZ & forj.k fyfi d@ fMLip Dydz & dny 09 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	02	—	—	03	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; kx	06	03	—	—	09	

orueku & 5200-20200+2100 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & किसी भी विषय में स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा।

28. I h/kh HkrhZ & ys[kk lgk; d & dny 07 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	07	—	—	—	07	

orueku & 5200-20200+2100 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & कॉमर्स में स्नातक उपाधि एवं Tally एवं MS Office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

29. I h/kh HkrhZ & MkVk , d/h vKlljVj & dY 04 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	01	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	03	01	—	—	04	

orueku & 5200-20200+2100 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & सांख्यिकी या कामर्स में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।

30. I h/kh HkrhZ & I gk; d xM&3 & dY 22 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	02	02	—	06	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 02 पद दृष्टि/श्रवण/अस्थि बाधित हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिनावर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	02	—	—	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	02	—	—	04	
	; kx	13	07	02	—	22	

orueku & 5200-20200+1900 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & किसी भी विषय में स्नातक उपाधि मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड म.प्र. से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं कम्प्यूटर में टंकण कार्य का अनुभव एवं प्रमाण पत्र।

31. I h/kh HkrhZ & , y-, e-0gh-Mk; oj & dY 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200-20200+1900 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & आठवीं उत्तीर्ण एवं एलएमवी/एचएमवी वाहन चालन हेतु वैध वाहन चालक लायसेंस।

32. I h/kh HkrhZ & dfu"B Mjh Mk d I gk; d & dY 11 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	—	—	06	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	09	02	—	—	11	

orueku & 5200-20200+1900 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।

33. I h/kh HkrhZ & dfu"B rduhf'k; u & ddy 10 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	01	—	—	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	01	—	—	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	08	02	—	—	10	

orueku & 5200-20200+1900 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & इलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन/रेफ्रिजरेशन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा आई.टी.आई उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र के साथ एग्नेन्टीस अथवा बॉयलर आपरेशन में क्लास-II प्रमाण पत्र धारी।

2- blnkj I gdkjh n/k I zk e; k blnkj

34. I h/kh HkrhZ & foi.ku i; bkd & ddy 05 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	05	—	—	—	05	

orueku & 9300-34800+3200 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & मार्केटिंग मैनेजमेन्ट एम.बी.ए के समकक्ष ए.आई.सी.टी.आई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

35. I h/kh HkrhZ & iz; kx'kkyk I gk; d & ddy 06 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	—	—	—	03	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	06	—	—	—	06	

orueku & 5200-20200+2800 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक

36. I h/kh HkrhZ & forj.k fyfi d/MLi p Dyd% & ddy 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200-20200+2100 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & किसी भी विषय में स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा।

37. I h/kh HkrhZ & Mj h Mkd vfl LVW/ & dgy 03 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 5200-20200+2100 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा।

3- mTt& l gdkjh nq/k l zk

38. I h/kh HkrhZ & foi .ku i ; bskd & dgy 04 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	01	—	—	04	

orueku & 9300-34800+3200 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & मार्केटिंग मैनेजमेन्ट एम.बी.ए के समकक्ष ए.आई.सी.टी.आई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

39. I h/kh HkrhZ & yskiky & dgy 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200-20200+2800 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि एवं Tally एवं MS Office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

40. I h/kh HkrhZ & rdulh'k; u Wkyk/ & dgy 09 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	02	—	—	02	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	—	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	—	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	07	02	—	—	09	

orueku & 5200-20200+2400 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & इलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेन्टेशन /रेफ्रिजरेशन में स्नातक उपाधि/पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा आई.टी.आई उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र के साथ एप्रेन्टीस अथवा बॉयलर आपरेशन में क्लास-II प्रमाण पत्र धारी।

41. I h/kh HkrhZ & VfyOku vki j\j & ddy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

वेतनमान — 5200—20200+2400 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; kx; rk & साइंस में स्नातक उपाधि एवं ईपीएबीएक्स संचालन का ज्ञान।

42. I h/kh HkrhZ & y\kk l gk; d & ddy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

वेतनमान — 5200—20200+2100 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; kx; rk & कॉमर्स में स्नातक उपाधि एवं Tally एवं MS Office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

4- tcyij l gdkjh n\k l \k

43. I h/kh HkrhZ & xkeh.k foLrkj i ; b\kd & ddy 09 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	—	—	03	
	; kx	07	02	—	—	09	

वेतनमान — 9300—34800+3200 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; kx; rk & वेटनरी साइंस या वाणिज्य या जीव विज्ञान या कृषि संकाय में स्नातक।

44. I h/kh HkrhZ & foØ; i k\l kgu i ; b\kd & ddy 05 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	04	01	—	—	05	

वेतनमान — 9300—34800+3200 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; kx; rk & मार्केटिंग मैनेजमेन्ट एम.बी.ए के समकक्ष ए.आई.सी.टी.आई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

45. I h/kh HkrhZ & ys[kkiky & dny 03 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 5200-20200+2800 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि एवं Tally एवं MS Office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

46. I h/kh HkrhZ & ofj "B I gk; d\%xqk fu; =.k\% & dny 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200-20200+2800 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक

47. I h/kh HkrhZ & VsyhOku vk\j\j & dny 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200-20200+2400 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & साइंस में स्नातक उपाधि एवं ईपीएबीएक्स संचालन का ज्ञान।

48. I h/kh HkrhZ & rduhf'k; u & dny 14 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	02	—	—	08	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	11	03	—	—	14	

orueku & 5200-20200+2400 ग्रेड पे

'k\$kf.kd ; kx; rk & इलेक्ट्रिकल/ईडस्ट्रियल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन /रेफ्रिजरेशन में स्नातक उपाधि/पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा आई.टी.आई उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र के साथ एप्रेन्टीस अथवा बॉयलर आपरेशन में क्लास-II प्रमाण पत्र धारी।

49. I h/kh HkrhZ & ys[kk I gk; d & dty 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200–20200 +2100 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & कॉमर्स में स्नातक उपाधि एवं Tally एवं MS Office उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

50. I h/kh HkrhZ & I gk; d xM&3 & dty 03 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	03	—	—	—	03	

orueku & 5200–20200+1900 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & किसी भी विषय में स्नातक उपाधि मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड म.प्र. से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं कम्प्युटर में टंकण कार्य का अनुभव एवं प्रमाण पत्र।

5- Xokfy; j I gdkjh nq/k I k

51. I h/kh HkrhZ & foØ; i kRl kgu i; bskd & dty 06 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	—	—	04	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	05	01	—	—	06	

वेतनमान – 9300–34800+3200 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & मार्केटिंग मैनेजमेन्ट एम.बी.ए के समकक्ष ए.आई.सी.टी.आई से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम द्विवर्षीय)।

52. I h/kh HkrhZ & ofj "B I gk; d/xqk fu; æ.kk & dty 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200–20200+2800 ग्रेड पे

'kfkf.kd ; kx; rk & रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक

53. I h/kh HkrhZ & rduhf'k; u & dny 18 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	01	01	—	07	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 पद दृष्टि/श्रवण/अस्थि बाधित हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिनावर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	—	—	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	—	—	05	
	; kx	12	05	01	—	18	

orueku & 5200-20200+2400 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; kx; rk & इलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेन्टेशन /रेफ्रिजरेशन में स्नातक उपाधि/पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा आई.टी.आई उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र के साथ एप्रेन्टीस अथवा बॉयलर आपरेशन में क्लास-II प्रमाण पत्र धारी।

54. I h/kh HkrhZ & okgu pkyd & dny 03 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	fujd
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	01	—	—	03	

orueku & 5200-20200+1900 ग्रेड पे

'k\kf.kd ; kx; rk & आठवीं उत्तीर्ण एवं एलएमवी/एचएमवी वाहन चालन हेतु वैध वाहन चालक लायसेंस।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन एवं निर्देश

[k.M&v

- 3-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पदों के लिए अपना विकल्प/अधिमान चिह्नित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii)
- 3-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव की पूर्ण वांछित अवधि आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये ।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) आवेदक द्वारा असत्य/गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा ।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया गया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

3-3 ijh{kk gky ea ys tkus gsrq vko' ; d l kexh %&

- (i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र ।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन ।
- (ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य ।
- (iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा ।

3-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

3-5 $ukxfjdrk, oaLFkkl fuokl h ds | \alpha/k ea \%&$

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :-
- (क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या
- (ख) आवेदक को सिविकम की प्रजा होना चाहिये, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या
- (घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :-

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यक्षीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
 - (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
 - (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
 - (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
 - (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

3-6 $e/; i ns'k ds LFkkl fuokl h vkondka ds fy, vk; q | hek \%&$

- (i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01.07.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :-

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

3-7 e/; i n s k ds LFkbbZ fuokl h vkondka dks i kRl kgu Lo: i nh tkus okyh NM/a %&

- (i) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ii) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3-8 e/; i n s k ds LFkbbZ fuokl h vkondka dh vk; q l hek ds l x/k ea vl; foofj.k %&

- (i) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (ii) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की

अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

Li "Vhdj.k %& शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(iii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

Li "Vhdj.k %& शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं ।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक क्रेडिट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Vhi % (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

1/2 1/2 यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3-9 **fyf[kr i jh{k k ea fu% kDr tu vH; fFk; ka ds fy, mi yC/k I fo/kk, j %&**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) **; g I fo/kk fuEufyf[kr vH; fFk; ka dks i nku dh tkoxh %&**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) **ys[ku fyfi d dh I fo/kk %&**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) **यसकु फ्यि द धि फु; ड्र ग्रि 'क्रि' %&**

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(iv) **बि दस वर्रि ड्रि न्क; धि त्कुस ओक्यि इ फो/क, %&**

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्षा यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

3-10 **इ ड्स क&ि = इ क्लर द्जुस धि इ फो; क %&**

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट **www.vyapam.nic.in** से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

उक्त प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3-11 **इ ज्हि क्क इ ड्स क&ि = (Test Admit Card) :-**

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाइट **www.vyapam.nic.in** पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।
- (ii) मण्डल की वेबसाइट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो-भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

- (iv) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3-12

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3-13

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- (ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

mnkgj.k 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \text{ rounded off to } 142.00$$

mnkgj.k 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$190 \times 200$$

$$\frac{190 \times 200}{200 - 2} = 191.91 \text{ rounded off to } 192.00$$

$$(200 - 2)$$

उपरोक्त सूत्र का उपयोग करके अंकों का गणना निम्नानुसार की जा सकती है।

3-14 निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (i) प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.12 तथा 3.13 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

3-15 निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- (vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

- (xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- (xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।
- (xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।
- (xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xvii) परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xviii) आवेदक द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर शीट में पेसिंग से उत्तर अंकित किये जाने पर यू.एफ.एम. प्रकरण मान्य करते हुये संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xviii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई कार्य, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

3-16 ijh{k i fj .kke dk i zdk'ku %&

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

3-17 $i j h \{ k k i f j . k k e \% \&$

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3-18 $i k j L i f j d o j h ; r k \%$

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थी की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी, अर्थात् जिसकी जन्मतिथि पहले होगी उसे पहले रखा जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT- OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

3-19 $e - i z 0 ; k o l k f ; d i j h \{ k k e M y d k d k ; L i o s k @ H k r h z @ i k = r k i j h \{ k k v k a d k l p k y u , o a m l d k i f j . k k e ? k k f " k r d j u k e k = g k x k \% \&$

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

3-20 $U ; k f ; d \{ k = k f / k d k j \% \&$ परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k.M&c

3-21 vkWlykbL vkonu&i = ds l kfk l yXu fd; s tkus okys nLrkostka dk fooj.k %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-03 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (v) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

3-22 vkWlykbL vkonu i = ds l kfk Qk&ks , oa gLrk{kj l yXu djus l ca/kh funi k%&

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-03 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ vkonu Hkjus dh frffk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा Qk&ksxkQ ij f[kpokus dh fnukd o vkond ds uke dk Li"V mYys[k gkuk pkfg; A
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3-23 , e-i h- vkklykbLu fd; kLd ds ek/; e l s vkonu QkeZ Hkj us dh fof/k %&

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3-24 vkklykbLu vkonu Hkj us ds l x/k ea funk %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) igpku i = ds ehuv ea ernkrk igpku i =] i udkM] vk/kkj dkM] Mk; foax yk; l d] vdl iph e; Qk/sxkQ] cfd ikl cpl e; Qk/sxkQ rFkk ikl iks/l dk iko/kku j [kk x; k gA
- (iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है rks og nLrkost dku l k gS bl dh tkudkj h vfrfjDr l g&vkbMh ds : i ea inku djuh gksxhA
- (iv) vkond dks vkonu i = ea 'kj h j ds LFkk; h fplg rFkk i j h {kk ds l e; i Lr r fd; s tkus okys Qk/s igpku i = dk foj .k rFkk Øekad vfuok; l : i l s v fdr fd; k tkuk gksxkA buds vHkko ea vkonu i = Lohdkj ugh gksxkA

- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (vi) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

3-25 $\sqrt{\frac{1}{2}} \frac{b}{j} u \sqrt{d} Q_s \} k j k \} D; k L d \frac{1}{2}$ = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3-26 $\sqrt{\frac{1}{2}} \frac{b}{j} u \sqrt{d} Q_s \} k j k \} D; k L d \frac{1}{2}$ = Hkj us grq nks fodYi g\$ %&

$\frac{1}{2} \frac{b}{j} u \sqrt{d} Q_s \} k j k \} D; k L d \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} \frac{b}{j} u \sqrt{d} Q_s \} k j k \} D; k L d \frac{1}{2}$

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **Instructions** तथा परीक्षा **Examination Rules** उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

¼½ ØfMV@MfcV dkMZ

¼½ b&juV cfd&

3-27 ØfMV@MfcV dkMZ ds ek/; e l s i j h { k k ' k q d dk H k q r k u % &

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-28 b&juV cfd& ds ek/; e l s i j h { k k ' k q d dk H k q r k u % &

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-29 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3-30 fu/kkfjr frffk ea tek fd, x, vkkuykbU vkonu i = ea l d kks/ku dh 0; oLFkk

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

3-31 , d l s v f / k d v k l l y k b l v k o n u & i = H k j u s l c a / k h f u n d k % &

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

3-32 vklykbū vkonu&i = dk fujLrhdj.k %&

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3-33 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3-34 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3-35 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3-36 c&k] l gkfj ; k , oa Hkkfj ; k tutkfr ; ka ds vH; fFkz ; ka ds fy, vkonu cfØ; k % &

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु fu/kkfjr U; ure 'k&kf.kd vgrk को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु l cf/kr foHkkx को प्रेषित करेंगे।
- (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) व्यापम द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।

- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत व्यापम द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.37 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

3-38 vkonu i = Hkj us dh l e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
26.12.2015	24.01.2015	30	26.12.2015	29.01.2015	35

3-39 fyf[kr ijh{kk dk fooj.k

स. क्र.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	एक प्रश्न पत्र (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पद हेतु)	21.02.2015	रविवार	02 घंटे	प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक	150
2.	द्वितीय प्रश्न पत्र (केवल तृतीय श्रेणी पद हेतु)	21.02.2015	रविवार	02 घंटे	दोपहर 02:00 से 04:00 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे।

परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

3-40 (i) ijh{kk 'kq'd %&

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म. प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग/बैगा, सहारिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों के लिये
01-	, d	500/-	250/-	250/-	70@&	fujd
02	nks	700/-	350/-	350/-	70@&	fujd

(ii) l d kks/ku fd; s tkus ij ns 'kq'd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	nks	100/-	50/-

3-41 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

Øa	fyf[kr ijh{kk dñz	Øa	fyf[kr ijh{kk dñz
1.	भोपाल	7.	रायसेन
2.	ग्वालियर	8.	उज्जैन
3.	इन्दौर	9.	मुरैना
4.	जबलपुर	10.	सतना
5.	रतलाम	11.	सागर
6	मंदसौर	12	देवास

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

- 3-42 (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) व्यापम की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) व्यापम कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) व्यापम की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का छवतउंसपेंजपवद करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित/संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) कंडिका 3.9 की सुविधा प्राप्त करने के लिये आवेदक को मण्डल में परीक्षा तिथि के एक सप्ताह पूर्व लिखित में दस्तावेजों सहित आवेदन करना आवश्यक होगा।

v/; k; &4

fyf[kr ijh{kk grq i kB; Øe

SYLLABUS FOR WRITTEN TEST FOR CLASS I & II POSTS

(A) Paper	Total 150 Marks
(i) General Awareness & General Aptitude / Reasoning - (Graduation level)	40 marks
(ii) General Knowledge about Madhya Pradesh - (Graduation level)	35 marks
(iii) <u>ADMINISTRATION</u> :	10 marks
1. Human Resource Management & Organization Behavior.	
2. Industrial Relations & Labour laws.	
3. Human Resource Planning.	
4. Management Control System.	
5. Wage and Salary Administration.	
6. Research Methodology for Management Decisions.	
7. Organizational Design, Development and Change.	
8. Personality Development.	
9. EPF, ESI, Bonus & Gratuity Acts, Factory Act, Contract labour Act.	
10. Principles and Practices of Management.	
(iv) <u>FINANCE</u> :	10 marks
1. Details of Assets and Liabilities shown in Balance Sheet.	
2. Treatment of loss/profit in Balance Sheet.	
3. Different types of share Capital.	
4. Accounting of capital assets purchased from Grant-in-aid.	
5. Difference between revenue expenditure and capital expenditure.	
6. Depreciation - need - methods of depreciation.	
7. Working capital - Meaning - Details of current assets and current liabilities.	
8. Ratios related to Working Capital. Determination/calculation of working capital.	

9. Movement of current assets and current liabilities - its effects on working capital.
10. Statutory Audit - Supplementary audit - Internal audit - Concurrent audit Pre-audit.
11. Taxation- VAT, Entry Tax, Income Tax, Sevice Tax , Professional Tax.

(v) MARKETING: 10 marks

1. Marketing Strategy 2. Consumer Behaviour 3. Advertising and Sales Promotion
4. Sales Management 5. Marketing Management

(vi) Production: 09 marks

1. **Plant Operation:** Reception of milk, Pasteurisation (Processing), Homogenisation, Recombination, Reconstitution, sterilization, Standardisation using Pearson Square formula, Milk Packaging, Manufacturing of Ice-cream, Cheese, SMP and Ghee, Indigenous milk products, Storage, Distribution, After sales feedback (Return/complaints)

2. Dairy Engineering: Preventive maintenance of dairy equipment & machinery, Breakdown maintenance of dairy equipment & machinery, Refrigeration cycle, Boilers and their types, Water Softners, Milk Packaging Machine, Maintenance of transportation vehicles(tankers/insulated van etc.), ETP Operation

(vii) Purchase and Inventory Management: 10 marks

1. FIFO system 2. LIFO system
3. ABC analysis 4. Purchase System and Procedure
5. Inventory Management 6. Stores Management
7. Standardisation and Variety reduction

(viii) Quality Control: 09 marks

1. **Grading of milk**
2. **Testing (chemical)** Fat. SNF, Acidity, COB, Organolaptic, Alcohol Test, Phosphatare of milk.
3. **Testing (Bacteriological)** SPC, Coliform, MBRT of milk.
4. **Detergent Strength Testing.**
5. **Milk Product Testing (Cheese, Cream, SMP, T.B. etc.) Chemical and Bacteriological**
6. **ETP Testing (testing of dairy effluent)**

(ix) M&P , MIS, Programming 09 marks

1. Data Structures and Algorithms.
2. Object oriented Programming languages.
3. Web technologies.

4. Advanced Concept In Database Systems.
5. E-Commerce and Governance.
6. Complete Knowledge of .Net & MS SQL server.
7. Planning: Project Planning, conceptualization and preparation, Strategic plan or corporate policies. Annual Plans / Quarterly Plans / Monthly Plans / Business Plans
8. Management Information Systems.

(x) Field Operation:

08 marks

1. Plant Propagation by Horticultural Method.
2. Physiology: Plant growth and development. Harmon's: Plant growth regulators Phoperiodism, Vernalisation and Dormancy.
3. Environmental Biology: Ecology, Eco system, Eco system Mineral cycling and Hydrological cycle.
4. Plant Communities and Succession.
5. Ecological Adaptation: Hydrophytes and Xerophytes.
6. Plant Ecological Factors.
7. Conservation of Nature.
8. Co-Operative Revolution & its development in India.
9. Cooperative & Principles of Co-Operatives.
10. Three tier Structure of DCS.
11. Special Features of Anand Pattern.
12. Construction of Milk DCS & its Advantages.
13. Organization of DCS and its advantage.
14. Women Participation in Co-Operative dairying.
15. Importance of By-pass protein and Chelated minerals for dairy cattle.
16. Minerals and vitamins: functions, requirement and deficiency symptoms in cattle and buffaloes.
17. Balanced ration: desirable characteristics and computation of ration for cattle and buffaloes.

(B) SYLLABUS FOR WRITTEN TEST FOR CLASS III POSTS

G K about Madhay Pradesh, General Aptitude and Reasoning -
(10+2 Level)

100 marks

ik: i&1

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

iz u&i fLrck ds iz uk ds l ck ea vH; konu

ukV& ; g iz = doy ijh{kkFkhZ }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd

e. My dk; ky; eami yC/k dj kus ij fopkj {k= eafy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

1000	iz u Øekd	=fV dk foj.k	l k{; ds : i ea i Lr r nLrkost dk foj.k	l ayXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

ik: i&2

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

vkn'kz mRrjka ij vki fRr grq vH; konu

1/ukV& ; g i i = dpy ijh{kkFkhz }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd e. My
dk; kzy; e mi yC/k djkus ij fopkj {k= e fy; k tk, xk 1/2

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

1-0-	mRrj Øekad	vkn'kz dth e inf'kr mRrj	vH; Fkhz ds vuq kj mRrj	mRrj ds l eFku e iLr nLrkost dk fooj.k	l ayXud Øekad

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ
चिपकाये

4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3